दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
के कार्यान्वयन के लिए
योजना (सिपडा) के तहत
सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता की परियोजना
हेतु दिशानिर्देश

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

1. पृष्ठभूमि

पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने के लिए शिक्षा आधारभूत है। इसके अलावा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना भारत की निरंतर चढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण (एनईपी, 2020) के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व है। इसलिए, शिक्षा किसी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चाहे वह समाज के किसी भी समूह से है। यह दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त छात्रों के लिए भी समान महत्व रखता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन थे, जो देश की कुल आबादी का 2.21% था। दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्कूल जाने वाली आबादी इस प्रकार है:

आयु समूह	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**
5-9	1,91,404	1,67,714	3,59,118
10-19	4,21,447	3,52,587	7,74,034
20-29	1,55,987	79,448	2,35,435
कुल	**7,68,838**	**5,99,749**	**13,68,587**

दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त छात्र एक अंब्रेला समूह हैं जो कम दृष्टि और दृष्टिहीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 एक कम दृष्टि वाले व्यक्ति को दिव्यांगजन की एक अलग श्रेणी के रूप में इंगित करता है। दृष्टिहीन छात्र मुख्य रूप से ब्रेल पुस्तकों और संसाधनों पर निर्भर हैं। जबकि, कम दृष्टि वाले छात्रों में सौंपे गए कार्यों की योजना बनाने और निष्पादन करने में अपनी अवशिष्ट दृष्टि का उपयोग करने की क्षमता है।

दृष्टि बाधित छात्रों के लिए अधिकांश संगठन और विशेष स्कूल विभिन्न पाठ्यपुस्तकों और सीखने की सामग्री तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न सुगम्य प्रारूप प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रेल पुस्तकें, टैक्टाइल डायग्राम, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें, टॉकिंग बुक्स (नरेटेड वॉयस) और ई-पब लोकप्रिय प्रारूप हैं जिनका उपयोग दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त छात्रों के लिए सुगम्य सामग्री प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

संविधान में सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने हेतु अधिदेशित किया गया है, जिसका तात्पर्य सभी के लिए, विशेष रूप से वंचित लोगों के लिए एक समावेशी समाज उपलब्ध कराना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (मौलिक अधिकार) ने समानता के अधिकार के बारे में निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार ने निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को अधिनियमित किया, जो 7 फरवरी 1996 से लागू हुआ। यह अधिनियम एक बुनियादी

कानून है जो दिव्यांगजनों के अधिकारों और सशक्तिकरण से संबंधित है। इस अधिनियम के अध्याय V (शिक्षा) की धारा 27 (ङ) में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को उनकी शिक्षा के लिए नि: शुल्क विशेष पुस्तकें और आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए योजना बनाएंगे। धारा 17(छ) में 'अठारह वर्ष की आयु तक के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले छात्रों को पुस्तकें, अन्य सामग्री और समुचित सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने' का भी प्रावधान है। धारा 16(v) में ऐसे व्यक्ति, जो दृष्टिहीन या बधिर या दोनों हैं, 'को संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है'।

यह अधिनियम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 में इस बात पर और जोर देता है कि सभी शैक्षणिक संस्थान दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगें और व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करेगें और व्यक्तिगत रूप से आवश्यक सहायता प्रदान करेंगें या अन्यथा ऐसा वातावरण प्रदान करेंगें जो पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप शैक्षणिक और सामाजिक विकास हेतु अधिकतम लाभ प्रदान करते हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, भारत में स्कूल जाने वाले दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल सामग्री और साहित्य प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 में 'ब्रेल प्रेस की स्थापना / आधुनिकीकरण / क्षमता संवर्द्धन के लिए सहायता' की केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की गई थी। 2022-23 तक 47.78 करोड़ रुपये (28 ब्रेल प्रेसों को 31.34 करोड़ रुपये तक गैर-आवर्ती अनुदान और 16 ब्रेल प्रेस को 16.44 करोड़ रुपये का आवर्ती अनुदान) की कुल वित्तीय सहायता के साथ 28 ब्रेल प्रेस (13 नए ब्रेल प्रेस की स्थापना, 12 आधुनिकीकृत ब्रेल प्रेस और 03 पुराने ब्रेल प्रेस की क्षमता संवर्द्धन) को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

केंद्रीय क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस योजना के उद्भव(इमेर्जेंस) ने बड़े पैमाने पर ब्रेल पुस्तकों की जरूरतों को पूरा किया है। लेकिन, अप्रैल 2023 तक, इस परियोजना में बारहवीं कक्षा तक ब्रेल में केवल स्कूल पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं। कॉलेज जाने वाले छात्र बड़े पैमाने पर ब्रेल पुस्तकों की सहायता मिलने से वंचित हैं। जनगणना, 2011 के अनुसार देश में 16 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के तहत कुल 2,85,599 दृष्टिबाधित ग्रस्त छात्र हैं। इसमें से 1,54,075 छात्र शैक्षिक संस्थानों में भाग ले रहे थे। यह अनुमान लगाया गया है कि अब लगभग 1,80,268 दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं (2011 की जनगणना से वर्तमान जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण)। व्यक्तियों के इस बड़े समूह को सुगम्य पुस्तकें और अधिगम सामग्री प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाओं के तहत उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत थी।

यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग (यूडीएल) का पहला सिद्धांत 'प्रतिनिधित्व के कई साधन' साबित कर रहा है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त छात्रों के लिए अधिगम सामग्री और पाठ्यपुस्तक ब्रेल के अलावा कई प्रारूपों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसलिए, यह अनिवार्य है कि ब्रेल प्रेस परियोजना को बुनियादी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक आयु वर्ग के छात्रों के लिए अपने कवरेज का विस्तार करना चाहिए। साथ ही, यह बहुत जरूरी है कि यह योजना कॉलेज जाने वाले छात्रों और अन्य लोगों के लिए परियोजना के तहत टॉकिंग बुक्स (नरेटेड), ई-पब/डिजिटल और बड़ी प्रिंट सामग्री सहित सभी लोकप्रिय सुगम्य प्रारूपों को पूरा करे।

2. परियोजना के उद्देश्य:

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. दृष्टि बाधित स्कूल जाने वाले बच्चों और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन कर रहे दृष्टि बाधित छात्रों को निःशुल्क सुगम्य अधिगम सामग्री प्रदान करने के लिए 'अनुमोदित और कार्यात्मक कार्यान्वयन एजेंसियों' को आवर्ती सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ii. निम्नलिखित की स्थापना के लिए गैर-आवर्ती सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना:

क) नई ब्रेल प्रेस/क्षमता संवर्द्धन/मौजूदा ब्रेलप्रेसों का आधुनिकीकरण।

बी) मौजूदा टॉकिंग बुक स्टूडियो की क्षमता संवर्द्धन /आधुनिकीकरण।

ग) नया डिजिटल बुक उत्पादन केंद्र / क्षमता संवर्द्धन / मौजूदा डिजिटल बुक उत्पादन केंद्र का आधुनिकीकरण।

घ) नए बड़े प्रिंट उत्पादन केंद्र/ क्षमता संवर्द्धन / मौजूदा बड़े प्रिंट उत्पादन केंद्र का आधुनिकीकरण।

3. परिचालन संबंधी परिभाषाएं

3.1 सुगम्य अधिगम सामग्री -

इस परियोजना के लिए, सुगम्य अधिगम सामग्री का अर्थ है पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, पाठ्यक्रम और वर्कबुक तथा केंद्रीय या राज्य स्कूली शिक्षा बोर्ड (एनआईओ और अन्य ओपन स्कूलिंग बोर्ड सहित), सांविधिक व्यावसायिक परिषदों या विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित अन्य सामग्री या तो निम्नलिखित प्रारूपों में हों:-

क) ब्रेल

ख) डिजिटल सुगम्य पुस्तकें/ई-पब/पीडीएफ फॉर्मेट को वर्णनात्मक सुविधा के साथ शामिल करना।

ग) ओसीआर – प्रूफ रीडिंग के बिना संरचना ई-पब

घ) मानव वर्णित (ह्यूमन नरेटड) रिकॉर्डिंग

ई) बड़े प्रिंट

च) ब्रेल के साथ बड़े प्रिंट

3.2 केंद्रीय नोडल एजेंसी-

परियोजना के लिए निधियों को दिशा देने(चैनलाइज़ करने) के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) होगी। इस परियोजना के लिए, वर्तमान में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) है।

3.3 कार्यान्वयन एजेंसियां-

वे संगठन जो परियोजना के तहत सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास और उत्पादन में सीधे शामिल हैं तथा आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के लिए जीआईए प्राप्त करते हैं, कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।

3.4 नोडल एजेंसी-

इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। संस्थान प्रस्ताव की जांच, कार्यान्वयन एजेंसियों से रिपोर्ट प्राप्त करने, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सक्षम प्राधिकारी/निकाय द्वारा प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए जिम्मेदारहोगा।

3.3 निर्धारित प्रारूप -

निर्धारित आवेदन प्रारूप का अर्थ है वे प्रारूप और प्रोफार्मा जिसका अनुमोदन विधिवत रूप से परियोजना की स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया गया है, जिनका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है-

- गैर-आवर्ती जीआईए के लिए परियोजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन करना
- आवर्ती जीआईए के लिए लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आवधिक रिपोर्ट (मासिक रिपोर्ट)
- मॉनीटरिंग और मूल्यांकन उद्देश्य के लिए मूल्यांकन प्रारूप (पूर्व-स्थापना और स्थापना के बाद के निरीक्षण सहित)

4. स्क्रीनिंग समिति-

स्क्रीनिंग समिति परियोजना के उद्देश्यों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए एक मार्गदर्शक और कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करेगी और समिति की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी है। समिति की निम्नलिखित संरचना होगी:

1.	डीईपीडब्ल्यूडी में इस परियोजना से संबंधित संयुक्त सचिव/उपमहानिदेशक (डीडीजी)	अध्यक्ष
2.	इस परियोजना से संबंधित उप सचिव/निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य सचिव
3.	निदेशक, एनआईईपीवीडी	सदस्य
4.	उप सचिव/निदेशक (वित्त), डीईपीडब्ल्यूडी	सदस्य
5.	डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा नामित एक विशेषज्ञ	सदस्य
6.	नोडल एजेंसी द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले एक विशेषज्ञ	सदस्य

स्क्रीनिंग समिति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

4.1 परियोजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों पर विचार करना।

4.2 कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए गैर-आवर्ती अनुदान सहायता के प्रस्ताव पर विचार करना।

4.3 कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आवर्ती सहायता अनुदान के प्रस्तावों पर विचार करना।

4.4 नोडल एजेंसी के कार्यों की समीक्षा करना और परियोजना के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित करना।

4.5 आवर्ती सहायता अनुदान की प्रतिपूर्ति के तहत सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के संबंध में दरों की समीक्षा करना और उन्हें अंतिम रूप देना।

4.6. परियोजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, बैठकों आदि के संचालन के संबंध में नोडल एजेंसी के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

4.7. परियोजना के परियोजना के बारे में कोई भी संबंधित निर्णय लेना।

4.8 कार्यान्वयन एजेंसियों को लिए एक मॉनिटरिंग तंत्र विकसित करना।

4.9. नोडल एजेंसी द्वारा प्रशासनिक व्यय को अनुमोदित करना और उसकी प्रतिपूर्ति करना।

4.10. उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुदान जारी रखने के लिए निर्णय लेना।

5. नोडल एजेंसी की भूमिका:

5.1 नोडल एजेंसी की भूमिका निम्नलिखित होगी:

1) दृष्टि बाधित बच्चों/छात्रों के लिए सुगम्य सामग्री के विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए नोडल एजेंसी की वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन जारी करना और अधिसूचित करना।

2) निर्धारित आवेदन प्रारूप में परियोजना के लिए वित्तीय निहितार्थ के साथ कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में स्थापना के लिए संगठनों से आवेदन प्राप्त करना और पात्रता मानदंडों के संदर्भ में इसकी जांच करना।

3) नोडल एजेंसी के सक्षम प्राधिकारी निरीक्षण दल का गठन करेंगे। यह दल परियोजना के अंतर्गत आवेदन करते हुए निर्धारित मूल्यांकन प्रारूप में जांच की गई संगठन/संस्थान का मूल्यांकन और उनका भौतिक सत्यापन करेगा।

4) अवलोकन और सूचना के लिए डीईपीडब्ल्यूडी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5) आवेदनों की जांच करना और स्क्रीनिंग समिति के विचारार्थ उनकी सिफारिश करना। नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सही और जांचे गए दस्तावेज डीईपीडब्ल्यूडी/स्क्रीनिंग समिति को भेजे जा रहे हैं।

6) नोडल एजेंसी का सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एक निर्धारित मूल्यांकन प्रारूप सहित स्थापना के बाद वाले निरीक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी/अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का दौरा करने के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन करेगा।

7) वेब आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित एक मॉनिटरिंग तंत्र विकसित करना/ स्थापित करना।

8) निरीक्षण समिति नोडल एजेंसी को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इसे अपेक्षित दस्तावेजों के साथ डीईपीडब्ल्यूडी को विचारार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करेगी।

9) आवर्ती जीआईए के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त करना और इसे अनुमोदन के लिए स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाएगा।

10) कार्यान्वयन एजेंसियों से निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप में आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना और इसका रिकॉर्ड रखना और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखना।

11) आवधिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर डीईपीडब्ल्यूडी को प्रदर्शन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना।

12) नोडल एजेंसी को कार्यान्वयन एजेंसियों में सभी मशीन ऑपरेटिंग स्टाफ, रिकॉर्ड कीपर, लेखाकारों और सहायकों के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए ताकि उच्च उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके, जीएफआर के अनुसार सभी नियमों को अपनाया जा सके और परियोजना की गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखी जा सके।

13) नोडल एजेंसी एक पोर्टल का विकास/रखरखाव करेगी जिसमें क) कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए मास्टर प्रतियों की प्रतिबंधित पहुंच, ख) विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की सूची तक सार्वजनिक पहुंच, और ग) कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच संसाधन जुटाने का दायरा शामिल होगा। नोडल एजेंसी डीईपीडब्ल्यूडी की ओर से कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से तैयार की गई सभी मास्टर कॉपी का रिकॉर्ड रखेगी।

6. कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए पात्रता

पात्र संगठन सुगम्य अधिगम सामग्री के या – अथवा बहु प्रारूपों के उत्पादन के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई संगठन परियोजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी बनना चाहता है, तो उन्हें 6.1 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आवश्यक मानदंडों और 6.2 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अतिरिक्त मानदंडों को पूरा करना होगा:

6.1 कार्यान्वयन एजेंसी के लिए आवश्यक मानदंड / पात्रता शर्त

इस क्षेत्र में कार्यरत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या उनकी एजेंसियां परियोजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

अथवा, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI), या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए; या न्यास को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

संगठन को या तो पूर्ववर्ती नि:शक्तजन अधिनियम**, 1995** या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम**, 2016** के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को नीति आयोग (एनजीओ पोर्टल) के दर्पण पोर्टल के तहत पंजीकृत होना चाहिए और एनजीओ दर्पण की एक विशिष्ट आईडी होनी चाहिए।

आवेदन की तारीख के अनुसार पंजीकरण का नवीकरण/वैधता संबंधित राज्य के लिए यथा लागू मौजूदा मानदंडों के अनुसार अनिवार्य होगी।

6.2 अतिरिक्त मानदंड

ब्रेल प्रेस के लिए अतिरिक्त मानदंड

- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई उच्च गति कम्प्यूटरीकृत ब्रेल प्रेस नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों के मामले में इस शर्त में छूट दी जा सकती है।
- ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए, ब्रेल पेपर और ब्रेल पुस्तकों के विशेष भंडारण के लिए कम से कम 400 वर्ग फुट के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के साथ-साथ ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए विशेष रूप से न्यूनतम 1500 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए;

ई-पब/डिजिटल पुस्तक उत्पादन के लिए अतिरिक्त मानदंड

- परियोजना के तहत पहले से स्थापित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई ई-पब/डिजिटल पुस्तक उत्पादन केन्द्र/कार्यान्वयन एजेंसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों के मामले में इस शर्त में छूट दी जा सकती है।
- ई-पब/डिजिटल बुक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए निर्मित क्षेत्र का विशेष रूप से न्यूनतम **500** वर्ग फुट उपलब्ध होना चाहिए;

मानव-वर्णित (ह्यूमन-नरेटेड) टॉकिंग बुक उत्पादन के लिए अतिरिक्त मानदंड

- संगठन में मानव-वर्णित टॉकिंग बुक उत्पादन सुविधाएं होनी चाहिए।
- परियोजना के अंतर्गत पहले से स्थापित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई अन्य कार्यान्वयन एजेंसी नहीं होनी चाहिए।
- मानव-वर्णित टॉकिंग बुक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए कम से कम 1000 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।

बड़े प्रिंट वाले पुस्तक उत्पादन के लिए अतिरिक्त मानदंड

- परियोजना के अंतर्गत पहले से स्थापित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई बड़ा प्रिंट पुस्तक उत्पादन केन्द्र/कार्यान्वयन एजेंसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों के मामले में इस शर्त में छूट दी जा सकती है।
- बड़े प्रिंट वाले पुस्तक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए न्यूनतम **1000** वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।

सभी प्रारूप सुगम्य अधिगम सामग्री उत्पादन के लिए अतिरिक्त मानदंड

- परियोजना के अंतर्गत पहले से स्थापित संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई "सभी प्रारूप वाले सुगम्य अधिगम उत्पादन" केन्द्र/कार्यान्वयन एजेंसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों के मामले में इस शर्त में छूट दी जा सकती है।
- सभी प्रारूप वाले सुगम्य अधिगम उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए न्यूनतम **4000** वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।

नोट: - सरकारी निकायों/एजेंसियों के लिए मानदंडों में छूट दी जा सकती है। एक स्वैच्छिक संगठन से मूल रूप में भेजी गई आवेदन के मामले में, आवेदक को पिछले पांच वर्षों से एक पंजीकृत संगठन के रूप में अस्तित्व में होना चाहिए और पिछले पांच वर्षों से लगातार दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन करने वाला होना चाहिए; और गैर-सरकारी संगठनों के मामले में खातों की लेखा परीक्षा की उचित प्रणाली होनी चाहिए। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-सरकारी संगठनों के मामले में बैंक गारंटी अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगी।

7. कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियां:

7.1 कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित रिपोर्टिंग प्रारूप में नोडल एजेंसी को आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए।

7.2 सुगम्य अधिगम सामग्री के उत्पादन के लिए प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करें जिसे स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवर्ती अनुदान हेतु प्रतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट किया गया है और भुगतान के लिए दावा नहीं किया गया है और यहां तक कि किसी अन्य योजनाओं हेतु अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया गया है।

7.3 यदि उन्होंने किसी भी महीने/अवधि (जैसा कि स्क्रीनिंग समिति द्वारा तय किया गया है) में मुद्रण (प्रिंट)/उत्पादन नहीं किया है, तो उन्हें उस विशेष अवधि के लिए 'शून्य' रिपोर्ट नोडल एजेंसी को भेजनी होगी।

7.4 दृष्टि बाधित बच्चों के लिए काम करने वाले स्कूलों/संस्थानों/किसी अन्य संगठन से प्राप्त आदेशों का रिकॉर्ड इस परियोजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों के विवरण के साथ रखना।

7.5 प्रेषण के प्रमाण का रिकॉर्ड रखना और स्कूलों / कॉलेजों / संस्थानों / संगठनों द्वारा सुगम्य अधिगम सामग्री की प्राप्ति की पावती प्राप्त करना।

7.6 परियोजना से संबंधित बिलों/वाउचरों और लेखापरीक्षित खातों का रिकॉर्ड रखना और आवश्यकतानुसार नोडल एजेंसी को प्रदान करना।

8. लाभार्थी

8.1 मूलभूत स्तर से माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा के लिए नामांकित दृष्टि दिव्यांग छात्र निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे:

(कार्यान्वयन एजेंसियों या परिभाषित तंत्र के माध्यम से)

8.1.1 प्री-स्कूल से कक्षा XII तक कंप्यूटर पुस्तकें, वर्कबुक, संगीत पुस्तकें सहित पाठ्यपुस्तकें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं।

8.1.2 दृष्टिहीन शिक्षक (20 छात्रों तक के बैच के लिए) के लिए ब्रेल पुस्तकों का एक सेट भी परियोजना में शामिल किया जा सकता है।

8.1.3 टैक टाइल मानचित्र/पृष्ठ (कक्षा XII तक प्रति शैक्षणिक वर्ष प्रति छात्र 10 पृष्ठों तक)

8.1.4 ओपन स्कूलिंग बोर्ड (एनआईओएस) सहित कम मान्यता प्राप्त केंद्रीय बोर्डों और राज्य बोर्डों में नामांकित दृष्टि बाधित छात्रों को ब्रेल में पाठ्यपुस्तकें भी प्रदान की जा सकती हैं।

8.1.5 ब्रेल कैलेंडर वर्ष में एक बार कक्षा V से आगे के दृष्टि बाधित बच्चों/व्यक्तियों को दिया जा सकता है।

8.2 उच्च शिक्षा में नामांकित दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त छात्र परियोजना के तहत निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे:

(कार्यान्वयन एजेंसियों या परिभाषित तंत्र के माध्यम से)

- सामान्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों (जैसे बी.ए, एम.ए, बी.एससी, बी.कॉम, आदि) में नामांकित दृष्टि बाधित छात्रों को ब्रेल पृष्ठ दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति छात्र 2000 ब्रेल पृष्ठ होगी।

- व्यावसायिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों (एलएलबी, एलएलएम, विशेष शिक्षा कार्यक्रमों आदि) में नामांकित दृष्टि बाधित छात्रों को ब्रेल पृष्ठ दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति छात्र 5000 ब्रेल पृष्ठ होगी।

8.3 स्कूली शिक्षा में नामांकित कम दृष्टि वाले छात्रों को बड़ी प्रिंट पुस्तकें प्रदान की जा सकती हैं।

8.4 दृष्टि बाधित सभी छात्रों के लिए ई-पब पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

8.5 उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रूफरीडिंग प्रारूप के बिना ओसीआर - संरचित ई-पब प्रदान करने की आवश्यकता है या कम समय में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

9. क्षमता निर्माण

9.1 देश में विभिन्न आयु वाले और विभिन्न स्थानों में रहने वाले दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्य अधिगम सामग्री की उपलब्धता को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों का क्षमता निर्माण इस परियोजना का हिस्सा होगा।

9.2 नोडल एजेंसी निम्नलिखित के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेगी:

- तकनीशियन/ब्रेल प्रेस संचालक
- ब्रेल प्रेस प्रबंधक / प्रशासक
- ई-पब और डिजिटल पुस्तकों का विकास
- डेटा प्रबंधन और मेटाडेटा प्रविष्टि
- टॉकिंग बुक नरेटर या कोई अन्य उभरते मुद्दे।

9.3 डिजिटल कॉपी में सभी प्रारूपों के साथ सुगम्य अधिगम सामग्री की उपलब्धता के संबंध में एक ऑनलाइन पोर्टल के सृजन और रखरखाव के लिए नोडल एजेंसी में अधिकारियों का प्रशिक्षण।

10. गैर-आवर्ती और आवर्ती जीआईए का निधियन पैटर्न

10.1 गैर-आवर्ती अनुदान जारी करना

10.1.1 परियोजना के अनुमोदन और निम्नलिखित ऊपरी सीमाओं के साथ स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुदान की मंजूरी के बाद नोडल एजेंसी द्वारा संगठन को गैर-आवर्ती जीआईए जारी किया जाएगा :

क्र.सं.	मद	सुझाए गए मदें / उपकरण और मशीनरी	ऊपरी सीमाएँ
1.	ब्रेल प्रेस	1. हैवी ड्यूटी ब्रेल एम्बॉसर 2. डेस्कटॉप कंप्यूटर 3. कंप्यूटर टेबल/चेयर 4. सॉफ्टवेयर/ ब्रेल अनुवादक 5. स्टेपलर	स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि: 2 करोड़ तक
4.	बड़े प्रिंट वाले प्रेस	1. मोनोक्रोम प्रोडक्शन प्रिंटर 2. डिजिटल कलर प्रोडक्शन प्रिंटर 3. 10 केवीए ऑनलाइन यूपीएस 4. डेस्कटॉप कंप्यूटर 5. कागज काटने की मशीन 6. हैवी ड्यूटी स्टैपलिंग मशीन 7. डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन 8. एअर कंडीशनर 9. कंप्यूटर टेबल और कुर्सियां	स्थापना/आधुनिकीकरण: 70 लाख तक
5.	टॉकिंग बुक स्टूडियो (मानव वर्णित)	1. डेस्कटॉप कंप्यूटर 2. आवश्यक सॉफ्टवेयर 3. साउंड-कार्ड 4. माइक्रो फोन 5. स्पीकर/हेडफोन 6. ऑनलाइन यूपीएस 7. मौजूदा स्टूडियो का संशोधन/उन्नयन (बेहतर ध्वनिक सुविधाओं/एयर कंडीशनिंग के लिए)	उन्नयन/आधुनिकीकरण: 10 लाख तक

		8. कंप्यूटर टेबल और कुर्सियां	
6.	ई-पब प्रोडक शन यूनिट	1. आवश्यक सॉफ्टवेयर (ओसीआर / स्क्रीन रीडर / ईपब प्लेयर, आदि) 2. डेस्कटॉप कंप्यूटर 3. कंप्यूटर टेबल और कुर्सियां 4. स्कैनर (उच्च क्षमता)	स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वृद्धि: 6 लाख तक

* अतिरिक्त फर्नीचर, फिक्स्चर और सिविल या इलेक्ट्रिकल कार्य को परियोजना प्रस्ताव के हिस्से के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। दरें गतिशील (डायनेमिक) होंगी और आवधिक आधार पर स्क्रीनिंग समिति की बैठक द्वारा समीक्षा की जाएगी।

10.1.2 परियोजना के कार्यान्वयन की गैर-आवर्ती लागत दो समान किस्तों में जारी की जाएगी अर्थात जीएफआर मानदंडों के तहत अग्रिम में पहली किस्त के रूप में कुल लागत का **50%** और मशीन/ उपकरण के दूसरे सेट की स्थापना की आवश्यकता के आवश्यकता-आधारित मूल्यांकन के बाद शेष **50%** दूसरी किस्त के रूप में दी जाएगी। मूल्यांकन मानदंड स्क्रीनिंग समिति द्वारा तय किया जाएगा।

10.1.3 स्थापना के बाद की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, नोडल एजेंसी स्क्रीनिंग समिति के विचार के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों की दूसरी किस्त की आवश्यकता प्रस्तुत करेगी।

10.1.4 गैर-आवर्ती अनुदान ऐसी कार्यान्वयन एजेंसियों को मुख्य रखरखाव के लिए भी जारी किया जा सकता है, जिनका उत्पादन मानदंडों के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक होगा। नोडल एजेंसी द्वारा संरचित मूल्यांकन और वित्तीय निहितार्थों के बाद ऐसे प्रस्ताव को स्क्रीनिंग समिति के पास भेजा जा सकता है।

10.1.5 स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदन के अधीन एक ऑनलाइन पोर्टल मॉनिटरिंग प्रणाली के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी को गैर-आवर्ती अनुदान जारी किया जाना चाहिए।

10.2 आवर्ती अनुदान जारी करना

10.2.1 इस परियोजना के तहत, अनुमोदित और कार्यात्मक कार्यान्वयन एजेंसियों को आवर्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे स्क्रीनिंग समिति के अनुमोदन के अधीन उद्देश्यों के अनुसार और निम्नलिखित ऊपरी सीमाओं के साथ दृष्टि बाधित छात्रों को नि:शुल्क सुगम्य अधिगम सामग्री प्रदान करने में सक्षम हो सकें:

क्र.सं.	मद	मद	प्रतिपूर्ति की दर
1.	ब्रेल प्रेस	ब्रेल पृष्ठ एम्बॉसिंग ब्रेल मास्टर कॉपी (विशेष	2.5 रु.प्रति पृष्ठ 40 रु. प्रति पृष्ठ

		मामले जहां मास्टर कॉपी उपलब्ध नहीं है और 20 से कम लाभार्थियों को आपूर्ति की जानी है)	
4.	बड़े प्रिंट वाले मुद्रण (प्रिंट)	बड़े प्रिंट की किताबें (आठवीं कक्षा तक)	1.5 रुपये प्रति पृष ठ ए4 (मोनोक्रोम) 5 रुपये प्रति पृष ठ रंग के लिए (कवर पेज)
5.	टॉकिंग बुक (मानव वर्णित (ह्यूमन नैरेटिड))	मानव वर्णित ऑडियो सुगम य पुस्तक	1500/- रु. प्रति घंटा (रिकॉर्डिंग समय समाप्त)
6.	ई-पब (.बीआरएफ प्रारूप सहित मास्टर कॉपी)	सुगम य ई-पब (मान्य; उदाहरण एसीई सत्यापनकर्ता) आउटपुट प्रारूप: 1. ई-पब एंड .बीआरएफ और 3. मास्टर वर्ड कॉपी (बिना वर्तनी त्रुटि के विवरण पाठ के साथ एकीकृत छवियां)	70 रु. प्रति पृष्ठ (प्रिंट पृष ठ)

* आवर्ती जीआईए प्रतिपूर्ति आधार पर किया जाना चाहिए और लाभार्थी विवरण के साथ वांछित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अधीन होना चाहिए। दरें गतिशील (डायनेमिक) होंगी और आवधिक आधार पर स्क्रीनिंग समिति की बैठक द्वारा समीक्षा की जाएगी।
* सभी मास्टर कॉपी (अस्वीकरण / कॉपीराइट नोटिस के साथ एकीकृत की जानी चाहिए और यह नोडल एजेंसी / डीईपीडब्ल्यूडी की संपत्ति होगी।

10.2.2 राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित कार्यान्वयन एजेंसियां, जिन्हें परियोजना के तहत गैर-आवर्ती अनुदान स्वीकृत किए गए हैं और जो दृष्टि बाधित छात्रों को निशुल्क सुगम य अधिगम सामग्री प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं और नोडल एजेंसी को नियमित रूप से आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत अपलोड कर रहे हैं।

10.2.3 नोडल एजेंसी में प्रशासनिक व्यय (**5%** तक) की प्रतिपूर्ति आवर्ती सहायता अनुदान के तहत की जाएगी।

10.2.4 नोडल एजेंसी को आवर्ती सहायता अनुदान के तहत पोर्टल प्रबंधन व्यय और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।

11. मॉनिटरिंग तंत्र

11.1 जीएफआर, 2017 (यथा संशोधित) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन

खरीद जीएफआर प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा, नोडल एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसियां एक परिसंपत्ति सूची बनाए रखेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि परिसंपत्तियों का कोई दोहराव न हो।

11.2 सृजित परिसंपत्तियों की मॉनिटरिंग और सत्यापन

सृजित परिसंपत्तियों की मॉनिटरिंग और निरीक्षण के लिए संस्थापन के पूर्व और संस्थापन के बाद निरीक्षण आयोजित की जाएगी । संस्थापन के पूर्व और संस्थापन के बाद नोडल एजेंसी द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के लिए विस्तृत प्रोफार्मा क्रमश: अनुबंध-क और अनुबंध-ख पर उपलब्ध हैं।

11.3 सेवा वितरण की गुणवत्ता और लाभार्थी की पहचान

आवधिक रूप से लक्षित सुपुर्दगी और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां नोडल एजेंसी को अनुबंध-ग में निर्धारित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा, लाभार्थियों से संबंधित विवरण अनुबंध-'घ' में निर्धारित प्रारूप में संकलित किया जाएगा और विभाग को त्रैमासिक रूप से विधिवत प्रस्तुत किया जाएगा।

11.4 परिणामों की मॉनिटरिंग

परियोजना के कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग करने के लिए, नोडल एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक समीक्षा करेगी कि नीति आयोग के आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अनुसार चिन्हित संकेतकों की प्रगति सही प्रक्षेपवक्र (ट्रेकजेक्टरी) का पालन कर रही है। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति सही नहीं पाई जाती है, तो नोडल एजेंसी स्क्रीनिंग समिति के चर्चा हेतु और विभाग के विचारार्थ तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बाधाओं और सुझावात्मक उपचारात्मक कार्रवाई की पहचान करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

11.5 भौतिक सत्यापन

इस विभाग की केन्द्रीय परियोजना मॉनिटरिंग इकाई (सीपीएमयू) स्कूलों/संस्थानों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों (छात्रों) के साथ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दावा की गई सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता और परिणामों का आवधिक सत्यापन करेगी, जिसका विवरण नोडल एजेंसी द्वारा अनुबंध-घ के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह का सत्यापन कुल लाभार्थियों के कम से कम 10% के लिए किया जाना चाहिए।

12. सामान्य शर्तें

12.1 कार्यान्वयन एजेंसियां बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय डीईपीडब्ल्यूडी/नोडल एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी।

12.2 कार्यान्वयन एजेंसियों को एक निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक महीने की **5** तारीख को या उससे पहले नोडल एजेंसी को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत / अपलोड करनी होगी।

12.3 कार्यान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि परियोजना के तहत खरीदे गए उपकरणों को नियमों और शर्तों के अनुसार मशीन के इस्तेमाल की न्यूनतम समयावधि को पूरी करनी चाहिए और वह भी इष्टतम उत्पादकता के साथ करना चाहिए।

12.4 कार्यान्वयन एजेंसियां मशीन/उपकरण/संसाधनों की पूरी क्षमता का उपयोग करेंगी और इसकी मॉनिटरिंग नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी।

12.5 संगठन नोडल एजेंसी से अनुदान प्राप्त करने की तारीख से **3** महीने के भीतर गैर-आवर्ती सहायता अनुदान का उपयोग करेगा। नोडल एजेंसी के अनुमोदन के बाद निधियों के उपयोग का समय अगले **3** महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि संगठन सहायता अनुदान का उपयोग करने में विफल रहता है, तो संगठन को **18%** ब्याज के साथ सहायता अनुदान वापस करना होगा।

12.6 कार्यान्वयन एजेंसियां व्यय के ब्यौरे के साथ अनुदान प्राप्त करने के बाद गैर-आवर्ती सहायता अनुदान का उपयोगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी।

12.7 यह अपेक्षा की जाती है कि नोडल एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसियों को कॉपीराइट संशोधन अधिनियम, **2010** द्वारा किए गए प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

12.8 यह उम्मीद की जाती है कि सुगम्य अधिगम सामग्री को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि इसका उपयोग अन्य दिव्यांग छात्रों या मुद्रण (प्रिंट) दिव्यांग छात्रों के लिए किया जा सके।

12.9 गैर-सरकारी संगठन जिला समाज कल्याण अधिकारी/दिव्यांगता अधिकारी/राज्य सरकार के माध्यम से पूरा प्रस्ताव अग्रेषित करेंगे।

12.10 **"ब्रेल प्रेस को वित्तीय सहायता पर परियोजना"** के तहत मौजूदा कार्यान्वयन एजेंसियों को इस परियोजना के साथ विलय कर दिया जाएगा।

12.11 डीईपीडब्ल्यूडी के परामर्श से नोडल एजेंसी परियोजना के तहत खरीदे गए/बनाए गए किसी भी बुनियादी ढांचे/मशीन/उपकरण/संसाधनों को किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों या नोडल एजेंसी को स्थानांतरित कर सकती है।

12.12 इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दृष्टि बाधित व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन परियोजना के तहत विकसित सामग्री के संबंध में प्रिंट दिव्यांगजनों के साथ-साथ अन्य दिव्यांगजनों की जरूरतों पर विचार करना चाहिए।

12.13 जो भी कार्यान्वयन एजेंसियां मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन नहीं करेंगी और/या मानदंडों का उल्लंघन करेंगी, उन्हें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया जाएगा और ऐसी कार्यान्वयन एजेंसियों/संगठनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

12.14 किसी भी विसंगति के मामले में, डीईपीडब्ल्यूडी का निर्णय प्रचलित और अंतिम होगा।

****

अनुबंध-क

संस्थापन पूर्व मूल्यांकन प्रोफार्मा

सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना (सिपडा)

---

1. मूल्यांकन की तारीख:

2. मूल्यांकन लिए आने वाले अधिकारियों/कार्मिको के नाम (संपर्क विवरण के साथ):
   क)
   ख)

3. आवेदक विभाग/संगठन का नाम:

4. पता:

5. दूरभाष सं.:
   टेली फैक्स:

   मोबाइल:

   ई-मेल:

6. संपर्क व यक्ति/नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम:

7. गैर-सरकारी संगठन की स्थापना की तिथि और पंजीकरण संख्या:

8. नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल में पंजीकरण: हाँ / नहीं
   यदि हाँ, तो पंजीकरण सं. और पंजीकरण की तारीख:
   यदि पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है और उसके बारे में बताएं
   (*नोट: उनसे एक वचन पत्र प्राप्त करें कि वे नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल में स वयं को पंजीकृत करेंगे और उसे जमा करेंगे*)

9. राज्य सरकार की सिफारिश: यदि हां, तो एक प्रति प्राप्त करें, यदि नहीं, तो उन्हें सिफारिश पत्र प्राप्त करने और उसे जमा करने के लिए कहें):

10. दृष्टि दिव यांग छात्रों के लिए ब्रेल प्रेस / बड़े प्रिंट / टॉकिंग पुस तकें / ई-पब उत्पादन संबंधी संचालन की तारीख:

11. परियोजना के लिए उपलब्ध निर्मित क्षेत्र:

12. परियोजना के लिए उपलब्ध मानव संसाधन:

13. संगठन/विभाग/केंद्र में पहले से ही उपलब्ध उपकरण/मशीनें:

14. पिछले दो वर्षों में ब्रेल उत्पादन/अन्य सुगम य अधिगम सामग्री उत्पादन का विवरण:

15. लाभार्थियों का संक्षिप्त प्रोफाइल:

16. सिफारिश/संक्षिप्त रिपोर्ट (दौरा करने वाली टीम):

17. दौरे पर आए अधिकारियों के हस्ताक्षर:

हमने व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त जानकारी की जांच और सत्यापन किया है।

क) ख)

दिनांक:

स्थान:

संलग्नक (निम्नलिखित की सत्यापित प्रतियां):

क. पंजीकरण प्रमाण पत्र

ख. संस्थान के बहिर्नियम

ग. उपलब्ध कर्मचारियों की सूची (या ब्रेल प्रेस/ई-पब/बड़े प्रिंट/अन्य सुगम्य प्रारूप के लिए नियुक्त स्टॉफ)

घ. उपकरणों की सूची (ब्रेल प्रेस/बड़े प्रिंट/ई-पब/अन्य सुगम्य प्रारूप के लिए उपलब्ध)

अनुबंध-ख

संस्थापन के बाद मूल्यांकन प्रोफार्मा

सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना (सिपडा)

---

1. मूल्यांकन की तारीख:

2. मूल्यांकन के लिए संगठन का दौरा करने वाले अधिकारियों/पदाधिकारियों के नाम:
   क)
   ख)

3. संगठन का नाम:

4. पता:

5. दूरभाष सं.:
   टेली फैक्स:

   मोबाइल:

   ई-मेल:

6. निधि प्राप्त करने की तिथि:

7. गैर आवर्ती एवं आवर्ती शीर्ष के तहत प्राप्त अनुदान:

8. खरीदे गए उपकरणों की सूची:

कृपया उपर्युक्त उपकरणों की कार्यशीलता की जांच और सत्यापन करें और बताएं कि क्या उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है/नहीं किया जा रहा है।

9. मुद्रित/एम्बोस्ड किए गए पृष्ठों की संख्या (मूल्यांकन की तारीख के अनुसार; एम्बॉसर की मीटर रीडिंग का उल्लेख कर सकते हैं):

10. शीर्षकों का नाम और उनमें से प्रत्येक की प्रतियां:

क्र.सं.	**शीर्षक**	**प्रतियां**

यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट का प्रयोग करें।

11. आज की तिथि के अनुसार गैर-आवर्ती और आवर्ती शीर्ष के तहत संगठन के पास उपलब्ध निधियों की शेष राशि:

12. संक्षिप्त रिपोर्ट (इस परियोजना की रोकड़ पुस्तिका, वाउचर, खाता बही और अचल संपत्ति रजिस्टर की जांच करें और अपने विचार प्रस्तुत करें):

13. संगठन का दौरा करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर:
    हमने व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त जानकारी की जांच और सत्यापन किया है।
    क) ख)

    दिनांक:

    स्थान:

<u>एकत्र किए जाने वाले स्व-सत्यापित दस्तावेज</u> :

1. स्टाफ सदस्यों की सूची (जो उत्पादन केंद्र में काम कर रहे हैं)।
2. आदेशों की प्रति (सुगम्य प्रारूप में अधिगम सामग्री को मुद्रित करने/परिवर्तित करने/विकसित करने के लिए)।
3. संगठनों के नाम की सूची (जिन्हें सुगम्य प्रारूप में कक्षावार शीर्षकों की संख्या वाली पुस्तकें और उनकी प्रतियां/अधिगम सामग्री प्रदान की गई है)
4. डाक रसीदों/प्रेषण की प्रतिलिपि जो ब्रेल पुस्तकों/अन्य सुगम्य पुस्तकों को अग्रेषित करती है।
5. अद्यतन बैंक विवरण।
6. लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण (समेकित और इस परियोजना से संबंधित)।
7. ब्रेल/बड़े प्रिंट/ई-पब अधिगम उत्पादन के लिए खरीदी गई विभिन्न गतिविधियों और उपकरणों की तस्वीरें।

अनुबंध-ग

मासिक प्रतिवेदन प्रारूप

सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना (सिपडा)

1. संगठन का नाम:

2. पता:

3. दूरभाष सं.:

   टेली फैक्स:
   मोबाइल:
   ई-मेल:

4. माह का नाम, जिसकी प्रगति के बारे में रिपोर्ट की जा रही है:

5. उपयोग की जाने वाली सुगम्य अधिगम सामग्री की कुल संख्या:
   (संबंधित संगठन के लिए लागू पंक्ति का उपयोग करें)

क्र.सं.	सुगम्यता प्रारूप	माह के दौरान	चालू वित्त वर्ष के दौरान
1.	ब्रेल पृष्ठ		
2.	टेक्टाइल पृष्ठ		
3.	बड़ा प्रिंट		
4.	ई-पब		
5.	अन्य सुगम्यता प्रारूप		

6. मुद्रित (प्रिंटेड) शीर्षकों की कुल संख्या:
   (क) माह के दौरान
   (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान

7. मुद्रित (प्रिंटेड) शीर्षकों में से प्रत्येक की प्रतियों की कुल संख्या:
   (क) माह के दौरान
   (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान:

8. सेवा प्रदत्त व्यक्तियों/एजेंसियों/संस्थाओं की कुल संख्या संख्या (**अनुबंध-घ** के अनुसार विवरण)):
   (क) माह के दौरान
   (ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान:

9. माह के दौरान खपत हुए ब्रेल पृष्ठों की मात्रा:

10. महीने के दौरान बाउंड किए गए वॉल्यूम की कुल संख्या:

11. महीने के दौरान बाइंडिंग पर किए गए खर्च की लागत:

12. महीने के दौरान उत्पादित शीर्षकों की एक सूची संलग्न करें और संख्या का उल्लेख करें। रिपोर्टिंग माह के दौरान प्रत्येक शीर्षक के सामने मुद्रित प्रतियों की संख्या:

नाम और हस्ताक्षर:

दिनांक:

अनुबंध-घ

"सुगम्य अधिगम सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता परियोजना (सिपडा) के तहत मुद्रित पृष्ठों और सेवा प्रदत्त लाभार्थियों की कुल संख्या का विवरण:

संगठन/ ब्रेल प्रेस का नाम:

स्कूल 01						
स्कूल / एजेंसी / संस्थान का नाम						
संपर्क विवरण और संपर्क संख्या के साथ स्कूल / एजेंसी / संस्थान का पता						
शिक्षा बोर्ड का नाम जिसके साथ स्कूल संबद्ध है						
कक्षा	**बच्चे का नाम**	**शीर्षकों/पुस्तकों के नाम**	**प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या**	**प्रतियां**	**पृष्ठ**	**ब्रेल पृष्ठ की कुल संख्या**
						0
		कुल		**0**	**0**	**0**
सेवा प्रदत्त कुल बच्चों की संख्या						
उत्पादित शीर्षक / पुस्तकों की कुल संख्या						
मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या		**0**				

स्कूल 02						
स्कूल / एजेंसी / संस्थान का नाम						
संपर्क विवरण के साथ स्कूल / एजेंसी / संस्थान का पता						
शिक्षा बोर्ड का नाम जिसके साथ स्कूल संबद्ध है						
कक्षा	**बच्चे का नाम**	**शीर्षकों/पुस्तकों के नाम**	**प्रत्येक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या**	**प्रतियां**	**पृष्ठ**	**ब्रेल पृष ठ की कुल संख्या**
						0
		कुल				**0**
सेवा प्रदत त कुल बच्चों की संख या						
उत्पादित शीर्षक / पुस्तकों की कुल संख या						
मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या		**0**				

कुल योग	
सेवा प्रदत त संस्थान / एजेंसी / स्कूल की कुल संख या (स्कूल 1 + स्कूल 2 + ...)	
सेवा प्रदत त कुल बच्चों की संख या (स्कूल 1 + स्कूल 2 + ...)	
उत्पादित शीर्षक / पुस्तकों की कुल संख या (स्कूल 1 + स्कूल 2 + ...)	
मुद्रित ब्रेल पृष ठों की कुल संख या (स्कूल 1 + स्कूल 2 + ...)	